छत्तीसगढ़ षासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 5–11/सात–1/रा./2014 नया रायपुर, दिनांक 06 जुलाई 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त सभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स

विषय :– **ई–गजट पर राजपत्र का प्रकाशन ।**

सन्दर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 06.01.2015 तथा 28.01.2015.

––0––

कृपया संदर्भित पत्रों (संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें । उक्त पत्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राजपत्रों का जनवरी 2015 से ई–गजट के माध्यम से प्रकाशन किए जाने तथा संबंधित साईट से किस प्रकार राजपत्र की प्रति का प्रिन्ट आऊट प्राप्त किया जा सकता है, के सम्बन्ध में विस्तृत एवं स्पष्ट अनुदेश दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के उक्त निर्णयानुसार शासकीय मुद्रणालय में राजपत्रों के प्रकाशन के पश्चात् राजपत्रों को सम्बन्धित वेबसाईट में अपलोड किया जा रहा है, ताकि सर्व–साधारण को राजपत्र की प्रति सहजता से उपलब्ध हो सके । तद्सम्बन्ध में संदर्भित पत्रों में यह स्पष्ट किया जा चुका है, कि राजपत्रों का ई–गजट के माध्यम से प्रकाशन के कारण अब सम्बन्धितों को राजपत्र की हार्ड–कॉपी (मुद्रित प्रति) उपलब्ध नहीं कराई जाएगी । उक्त स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी कतिपय विभागों/कार्यालयों द्वारा अभी–भी अपने पत्रों में आवश्यकतानुसार प्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किए जा रहे हैं तथा यह भी कि अधिसूचना का राजपत्रों में प्रकाशित होने के बावजूद, साईट के अवलोकन किए बिना यह कहा जा रहा है, कि प्रेषित अधिसूचना का प्रकाशन नहीं किया गया है ।

इस पत्र के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, कि आपके द्वारा प्रेषित राजपत्रों में प्रकाशन हेतु सामग्री :–

1. असाधारण राजपत्रों में मुद्रण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के साथ प्राप्त होने पर यथा सम्भव उसी दिन/प्रेषित सामग्री की पृष्ठों की संख्या अधिक होने पर कम्पोजिंग में लगने वाला समय के अनुसार ।

140/139

2. साधारण राजपत्रों को प्रत्येक शुक्रवार को मुद्रित कर **cg.nic.in/egazette** पर अपलोड किया जाता है । यदि राजपत्रों के मुद्रण के सम्बन्ध में कोई समाधान करना चाहें, तो निम्नांकित दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है:–

- साधारण राजपत्र हेतु (राजनांदगांव मुद्रणालय) :– 90988–94997, 78792–60473
- असाधारण राजपत्र हेतु (नया रायपुर मुद्रणालय) :– 94061–44671

कृपया तदानुसार अपने विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने हेतु आग्रह है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(के.आर. पिस्दा) 4/7/2015
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5–11/सात–1/रा./2014 नया रायपुर, दिनांक 06 जुलाई 2015

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, रायपुर
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़
13. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव 4/7/2015
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

140/140

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन [illegible]
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

06 JAN 2015

क्रमांक–एफ–5–11/सात–1/रा./2014 नया, रायपुर दिनांक जनवरी, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,

विषय :– ई–गजट पर राजपत्र का प्रकाशन।

–0–

प्रायः यह महसुस किया गया है, कि राजपत्रों का प्रकाशन हो जाने के बावजूद संबंधित विभागों को समय पर राजपत्र की मुद्रित प्रति उपलब्ध नहीं हो पाती है । इस कठिनाई के निराकरण के उददेश्य से शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि अब दिनांक 01.01.2015 से राजपत्र का प्रकाशन मुद्रण के साथ–साथ ई–गजट के माध्यम से भी किया जावे । तदनुसार राज्य में दिनांक 01.01.2015 से राजपत्रों का प्रकाशन नियमित मुद्रण के साथ–साथ वेबसाईट के माध्यम से भी करने की व्यवस्था की गई है । इस हेतु पृथक से वेबसाइट cg.nic.in/egazette निर्माण किया गया है । अब ई–गजट के माध्यम से प्रकाशित राजपत्र की प्रतिलिपियां कम्प्यूटर के माध्यम से भी निकाली जा सकती है ।

2/ वेबसाइट पर किसी विभाग द्वारा प्रकाशित राजपत्र को ढूंढने की व्यवस्था की गई है । इसके लिये साधारण/असाधारण, विभाग का नाम अथवा निश्चित तिथि के मान से राजपत्रों को वर्गीकृत किया गया है, जिसका उपयोग विभिन्न विभाग/जनसामान्य के द्वारा प्रकाशित राजपत्र को ढूंढने के लिये किया जा सकता है ।

3/ दिनांक 01.01.2015 के बाद राजपत्रों को प्रकाशन मुद्रण के साथ–साथ नियमित रूप से ई–गजट के माध्यम से भी किया जायेगा, लेकिन दिनांक 01.01.2015 के पूर्व प्रकाशित राजपत्रों को स्केनिंग कर वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था की जा रही है । इसके लिये छ.ग. राज्य के गठन 01.11.2000 से लेकर 31.12.2014 तक के राजपत्रों का स्केनिंग करने का लक्ष्य रखा गया है, इसे चरणबद्ध ढंग से वर्षवार किया जा रहा है । भविष्य में स्केनिंग कर अपलोड करने के बाद पुराने राजपत्र भी वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकेगें ।

(चन्द्रकान्त उइके)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(117)

06 JAN 2015

पृ.क्रमांक–एफ–5–11/सात–1/रा./2014 नया, रायपुर दिनांक जनवरी, 2015

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर.
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय.
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर.
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर.
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर.
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर.
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर.
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचानालय, रायपुर.
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली.
11. राज्य सूचना आयुक्त, रायपुर.
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
13. गार्ड फाईल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

55

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन वि
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 5–11/सात–1/रा./2014 नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त सभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स

विषय :– **ई–गजट पर राजपत्र का प्रकाशन ।**

सन्दर्भ :–1. इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ–5–11/सात–1/रा./2014 दिनांक 06.01.2015
2. मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ–5–11/सात–1/रा./2014 दिनांक 14.01.2015

—0—

राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक तथा जन सुविधा का ध्यान में रखते हुए शासकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित किये जाने वाले समस्त राजपत्रों को विभाग द्वारा तैयार वेबसाईट– http://cg.nic.in/egazette के माध्यम से सर्व सुलभ कराने के निर्णय के परिपेक्ष्य में 01 जनवरी 2015 से मुद्रित हो रहे समस्त राजपत्रों को ई–गजट के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है ।

2/ उक्त सम्बन्ध में एन.आई.सी. द्वारा तैयार वेबसाईट में प्रवेश करने तथा राजपत्र को ढूंढने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

1. **वेबसाईट का नाम – http:/cg.nic.in/egazette**
2. **राजपत्र ढूंढने की प्रक्रिया :–**

राजपत्र को 2 श्रेणी में रखा गया है । पहला साधारण राजपत्र (Ordinary Gazette) तथा दूसरा असाधारण राजपत्र (Extra Ordinary Gazette) ।

3/ विभाग द्वारा तैयार वेबसाईट खोलते ही मॉनीटर पर **"छत्तीसगढ़ ई–गजट"** मुखपृष्ठ परिलक्षित होगा (देखे–पेज–01 संलग्न परिशिष्ट में) । मुखपृष्ठ में नवीनतम 05 साधारण तथा 05 असाधारण राजपत्र क्रमशः देखे जा सकेंगे । अन्य राजपत्रों को खोजने के लिए मॉनीटर में दाहिने में **"राजपत्र खोजें"** पर क्लिक करने पर मॉनीटर पर पृष्ट–2 (संलग्न परिशिष्ट अनुसार) प्रदर्शित होगा, जिसमें साधारण या असाधारण राजपत्र के विकल्प चयन करते ही सम्बन्धित विभाग/दिनाँक के राजपत्र, संलग्न परिशिष्ट के पेज–3 एवं 4 अनुसार दृष्टव्य होगा । तदनुसार सम्बन्धित राजपत्रों को एक–एक कर चयन कर उनका प्रिन्ट लिया जा सकता है ।

4/ शासन की मन्शा है कि यह प्रक्रिया जनसामान्य को सहज ढंग से समझ में आ जाए, ताकि उन्हें उनसे सम्बन्धित/आवश्यक राजपत्र की प्रति सहजता से परिलक्षित हो सके तथा उतनी ही आसानी से वे उनकी प्रिन्ट भी प्राप्त कर सकें ।

5/ कृपया संलग्नानुसार प्रदर्शित वेबसाईट के उपयोग की पद्धति को लोक सेवकों तथा जनसामान्य को अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि इसका अधिकाधिक उपयोग हो सके ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(के.आर. पिस्दा)
सचिव 28/1/2015
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5–11/सात–1/रा./2014 नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2015

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, रायपुर
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़
13. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव 28/1/2015
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

103/103

छत्तीसगढ़ राजपत्र की वैबसाइट http://cg.nic.in/egazette पर उपलब्ध है । इसके homepage पर निम्नानुसार प्रदर्शित होता है।

नवीनतम 5 Extra-Ordinary (असाधारण) राजपत्र

राजपत्र क्रमांक	अधिसूचना क्रमांक	अधिसूचना दिनांक	विषय	विभाग	फाईल
32	एफ-66-1/तीन दो/न.पा./ निर्वा.अभ्यर्थी/2015/243	07 Jan 2015	नगरपालिका परिषद, सूरजपुर जिला-सूरजपुर के निर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षद की सूची	राज्य निर्वाचन आयोग	Download (3531 Kb)
31	एफ-66-1/तीन दो/न.पा./ निर्वा.अभ्यर्थी/2015/221	07 Jan 2015	नगरपालिका परिषद बीजापुर, जिला-बीजापुर के निर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षद की सूची	राज्य निर्वाचन आयोग	Download (1141 Kb)
29	एफ-66-1/तीन दो/न.पा./ निर्वा.अभ्यर्थी/2015/240	07 Jan 2015	नगर पंचायत बगीचा, जिला-जशपुर के निर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षद की सूची	राज्य निर्वाचन आयोग	Download (1538 Kb)
28	एफ-66-1/तीन दो/न.पा./ निर्वा.अभ्यर्थी/2015/206	07 Jan 2015	नगर पंचायत राजिम जिला-गरियाबंद के निर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षद की सूची	राज्य निर्वाचन आयोग	Download (2784 Kb)
27	एफ-66-1/तीन दो/न.पा./ निर्वा.अभ्यर्थी/2015/176C	05 Jan 2015	नगरपालिक निगम रायपुर, जिला-रायपुर के निर्वाचित महापौर एवं पार्षद की सूची	राज्य निर्वाचन आयोग	Download (2773 Kb)

नवीनतम 5 Ordinary (साधारण) राजपत्र

राजपत्र क्रमांक	राजपत्र दिनांक	भाग 1	भाग 2	भाग 3 (1)	भाग 3 (2)	भाग 4
3	16 Jan 2015	Download (736 Kb)	Download (14 Kb)	Download (45 Kb)	Download (14 Kb)	Download (14 Kb)
2	09 Jan 2015	Download (3193 Kb)	Download (14 Kb)	Download (25 Kb)	Download (14 Kb)	Download (14 Kb)

पेज-1

इस पर नवीनतम 5 अपलोड किए गए असाधारण व साधारण राजपत्र दिखते हैं। पूर्व के अन्य राजपत्रों को नीचे बताए गए विधि अनुसार ढूंढ कर डाउनलोड किया जा सकता है।

<u>चरण - 1</u>

राजपत्र खोजने के लिए आइकॉन पर क्लिक करें जिससे निम्न page प्रदर्शित होता है।

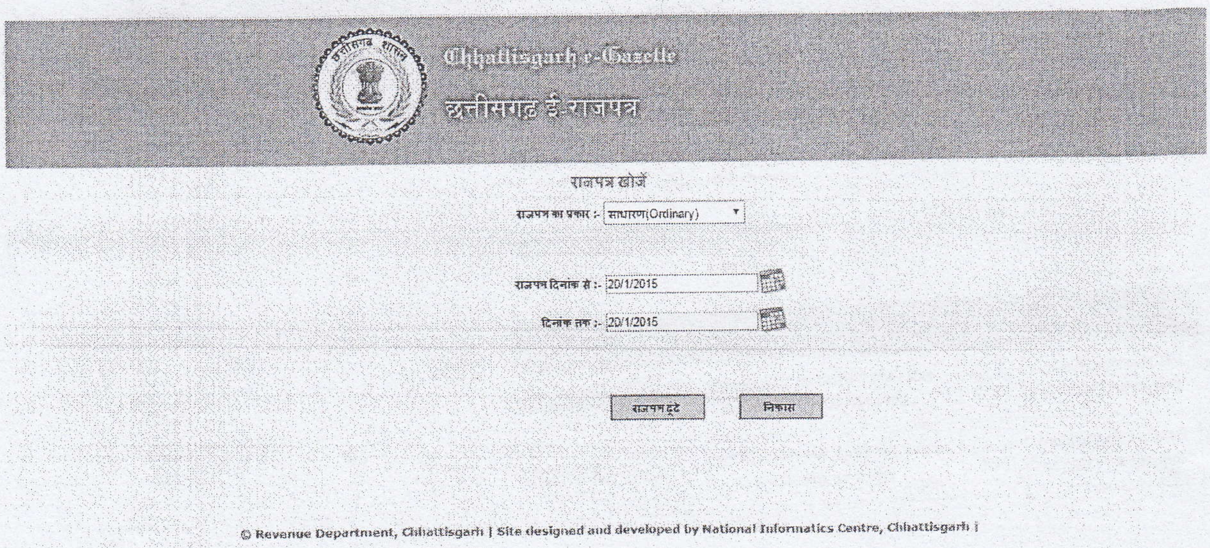

पेज-2

चरण - 2

किसी समयावधि में राजपत्र ढूँढने के लिए उसका प्रकार (साधारण) व समयावधि दिया जा सकता है।

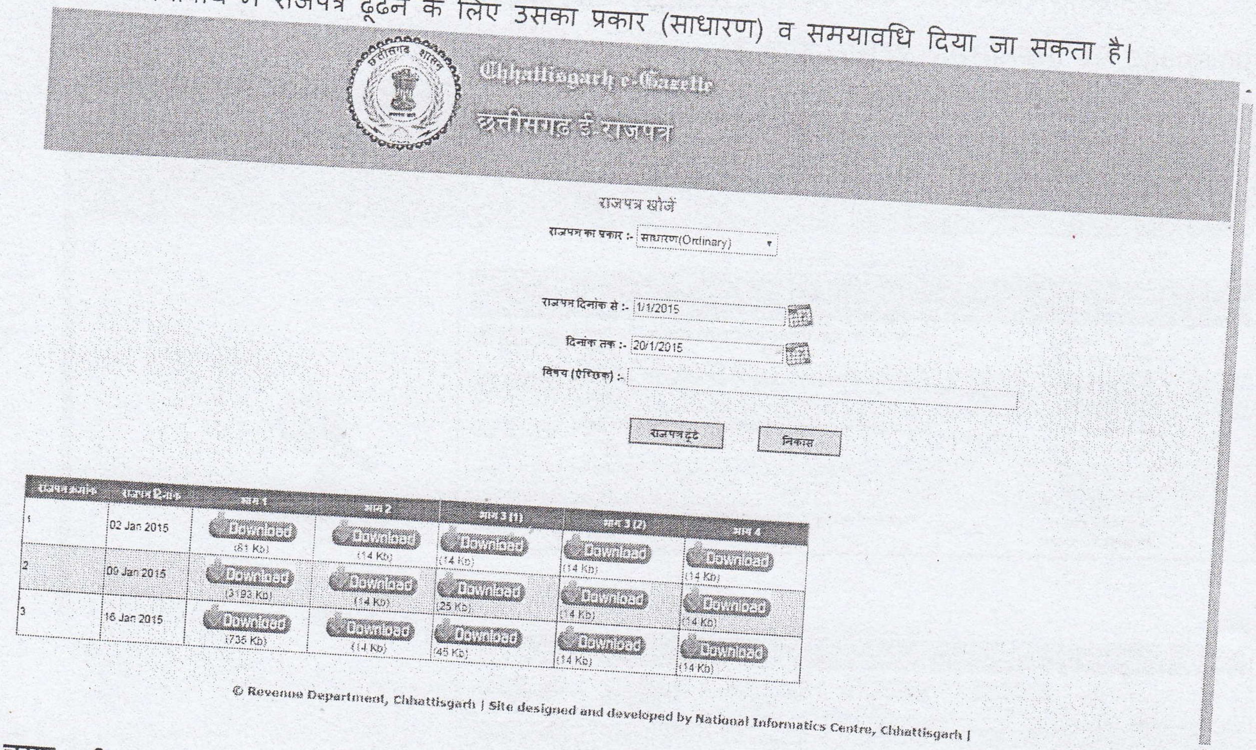

राजपत्र क्रमांक	राजपत्र दिनांक	भाग 1	भाग 2	भाग 3 (1)	भाग 3 (2)	भाग 4
1	02 Jan 2015	Download (81 Kb)	Download (14 Kb)	Download (14 Kb)	Download (14 Kb)	Download (14 Kb)
2	09 Jan 2015	Download (3193 Kb)	Download (14 Kb)	Download (25 Kb)	Download (14 Kb)	Download (14 Kb)
3	16 Jan 2015	Download (735 Kb)	Download (14 Kb)	Download (45 Kb)	Download (14 Kb)	Download (14 Kb)

© Revenue Department, Chhattisgarh | Site designed and developed by National Informatics Centre, Chhattisgarh |

पेज-3

चरण - 3

इसी प्रकार असाधारण (Extra Ordinary) प्रकार चुन कर समयावधि, विभाग व विषय देने पर इन शर्तों पर आधारित राजपत्रों को प्रदर्शित करता है। इसमें विभाग व विषय देना अनिवार्य नहीं है।

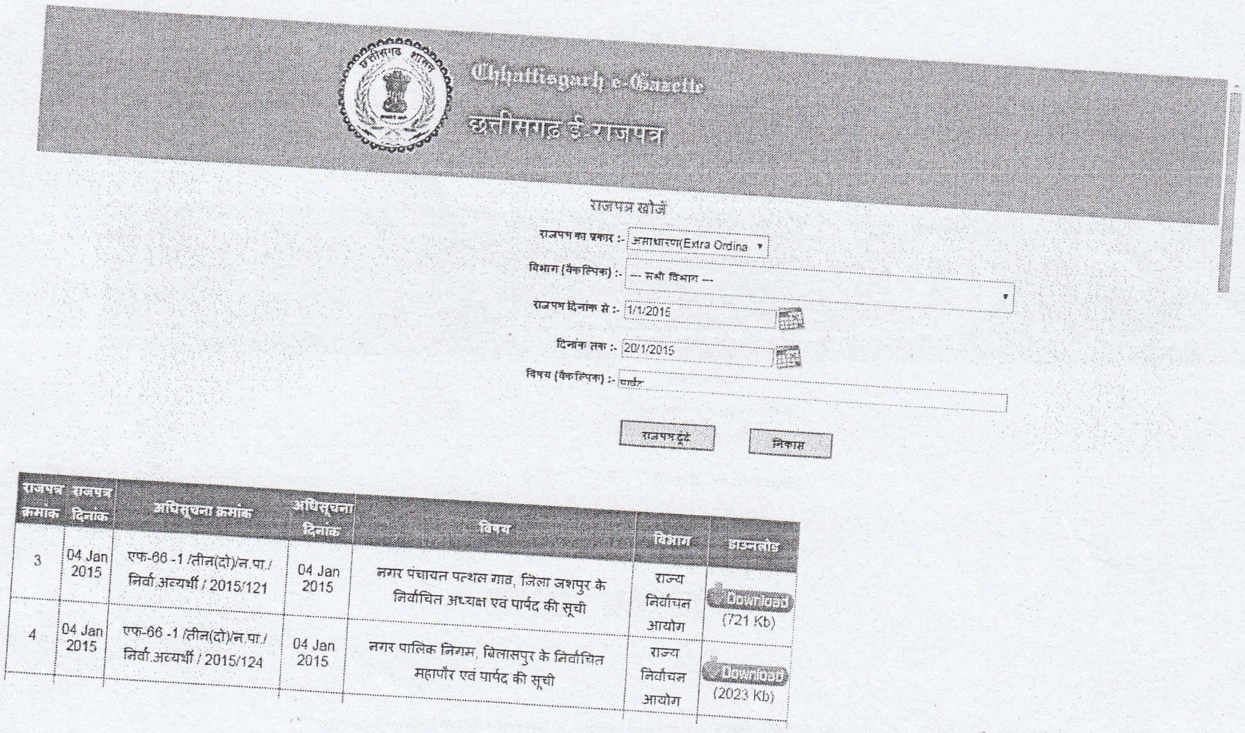

राजपत्र क्रमांक	राजपत्र दिनांक	अधिसूचना क्रमांक	अधिसूचना दिनांक	विषय	विभाग	डाउनलोड
3	04 Jan 2015	एफ-66 -1 /तीन(दो)/न.पा./ निर्वा.अभ्यर्थी / 2015/121	04 Jan 2015	नगर पंचायत पत्थल गाव, जिला जशपुर के निर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षद की सूची	राज्य निर्वाचन आयोग	Download (721 Kb)
4	04 Jan 2015	एफ-66 -1 /तीन(दो)/न.पा./ निर्वा.अभ्यर्थी / 2015/124	04 Jan 2015	नगर पालिक निगम, बिलासपुर के निर्वाचित महापौर एवं पार्षद की सूची	राज्य निर्वाचन आयोग	Download (2023 Kb)

पेज-5

चरण - 4

प्रदर्शीत राजपत्रों में से किसी भी राजपत्र को download बटन पर क्लिक कर देखा जा सकता है या डाउनलोड व प्रिंट किया जा सकता है।